न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला केकड़ी

(पीठासीन अधिकारी रवि वर्मा) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./37/2021

1. भगवती प्रसाद पुत्र लादू जाति ब्राह्मण निवासी बडगांव तहसील भिनाय केकड़ी
2. गजराज पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राह्मण निवासी बडगांव तहसील भिनाय केकड़ी
3. गणेश पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राह्मण निवासी बडगांव तहसील भिनाय केकड़ी
4. सुशीला पत्नी सत्यनारायण जाति ब्राह्मण निवासी बडगांव तहसील भिनाय केकड़ी

प्रार्थी

बनाम

1. तेजू पुत्र कालू जाति बैरवा निवासी बडगांव तहसील भिनाय केकड़ी
2. रोडी देवी पत्नी लादू जाति बैरवा निवासी बडगांव तहसील भिनाय केकड़ी
3. महावीर पुत्र श्रीलाल जाति नाई निवासी बडगांव तहसील भिनाय केकड़ी
4. विष्णु पुत्र जगदीश जाति ब्राह्मण निवासी बडगांव तहसील भिनाय केकड़ी
5. मदनलाल पुत्र जेठू जाति नाई निवासी बडगांव तहसील भिनाय केकड़ी
6. सुरेशचन्द्र पुत्र श्रीलाल जाति ब्राह्मण निवासी बडगांव तहसील भिनाय केकड़ी(विलोपित)
7. दुर्गाप्रसाद पुत्र हरिशंकर जाति ब्राह्मण निवासी बडगांव तहसील भिनाय केकड़ी
8. रवि पुत्र महावीर जाति जैन निवासी बडगांव तहसील भिनाय केकड़ी
9. लादू पुत्र माघू जाति गुर्जर निवासी बडगांव तहसील भिनाय केकड़ी
10. घीसा पुत्र हमीरा जाति बैरवा निवासी बडगांव तहसील भिनाय केकड़ी
11. शिवराज पुत्र गणेश जाति दर्जी निवासी बडगांव तहसील भिनाय केकड़ी
12. बनवारी पुत्र रामेश्वर जाति ब्राह्मण निवासी बडगांव तहसील भिनाय केकड़ी
13. कैलाश पुत्र रामनिवास जाति दर्जी निवासी बडगांव तहसील भिनाय केकड़ी
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर

अप्रार्थी

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :– 1. वकील प्रार्थी– धर्मवीर बामनिया
2 . पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा बड़गांव पटवार क्षेत्र बड़गांव भू0अ0नि0 क्षेत्र **कनेईकलां के खाता सं0 721 में दर्ज खसरा नं. 1052 रकबा 0.04, खसरा नं. 1053 रकबा 0.74, खसरा नं. 1054 रकबा 0.02, खसरा नं. 1057 रकबा 0.33, खसरा नम्बर 1212 रकबा 2.16 है0, कुल किता 05 कुल रकबा 3.29 हैं0** जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 13 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 14 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली में अप्रार्थी सं. 01 लगायत 05 तथा 07 लगायत 13 की नियमानुसार तामिली होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण पत्रावली में अप्रार्थी सं0 01

अप्रार्थीगण 05 तथा 07 लगायत 13 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 स्वीकार होने के कारण अप्रार्थी संख्या 06 का नाम पत्रावली से विलोपित किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा पत्रावली में जवाब पेश किया जाकर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया है। वकील वादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना–पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम बड़गांव के खाता खंख्या 721 संवत 2074–2077(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थीयां की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर मौजा बड़गांव पटवार क्षेत्र बड़गांव भू0अ0नि0 क्षेत्र कनेईकलां के खाता सं0 721 में दर्ज खसरा नं. 1052 रकबा 0.04, खसरा नं. 1053 रकबा 0.74, खसरा नं. 1054 रकबा 0.02, खसरा नं. 1057 रकबा 0.33, खसरा नम्बर 1212 रकबा 2.16 है0, कुल किता 05 कुल रकबा 3.29 है0 हेतु नायब तहसीलदार नागोला को 1000/– रू(एक हजार रू) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि पड़ौसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, केकड़ी